

प्रथम नियुक्ति के अवसर पर तथा तत्पश्चात (1.1.2017 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष 2016 के लिए अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

1. अधिकारी का पूरा नाम: शिवकुमार निगम
2. वर्तमान पद: उप निदेशक (राजभाषा)
3. सेवा का नाम जिसमें काम कर रहे हैं: केंद्रीय सरकारी सेवा
4. वर्तमान वेतनमान तथा मूल वेतन: वेतन मैट्रिक्स (67700-208700) लेबल-11, मू.वे.67700

जिला उप-मण्डल (सब डिवीजन), तालुक तथा ग्राम का नाम जहाँ जायदाद स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा विवरण		यदि यह स्वयं के नाम पर नहीं है, तो किसके नाम पर है अथवा सरकारी कर्मचारी से क्या संबंध है।	5	6	सम्पत्ति से होने वाली वार्षिक आय	टिप्पणी
	आवासीय तथा भवन	अन्य भूमि					
1 गाजियाबाद (उ.प्र.) 414/4046 वस्त्रधरा गाँव (उ.प्र.)	2 एलआईजी फ्लैट	3 अन्य भूमि	4 वर्तमान मूल्य* 7.50 लाख रु.	5 स्वयं के नाम पर है	6 बैंक से ऋण लेकर पूरी विवरण --	7 -	8 -

हस्ताक्षर  
18/11/17

दिनांक 18.01.2017

टिप्पणी : केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) के अंतर्गत श्रेणी (क) तथा (ख) के प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रथम नियुक्ति के अवसर पर तथा तत्पश्चात हर 12 महीनों की अवधि के लिए यह घोषणा-पत्र भरना तथा उसका प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें उनके स्वामित्व की अचल सम्पत्ति का अथवा उनके द्वारा अर्जित अथवा पट्टे पर ली गई अथवा बंधक पर ली गई सभी अचल सम्पत्तियों का विवरण दिया गया हो, चाहे वह सम्पत्ति उनके अपने नाम पर हो अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर।

1. \* यदि उस सम्पत्ति का ठीक-ठाक मूल्यांकन करना संभव न हो, तो वर्तमान स्थिति के संदर्भ में उसके अनुमानित मूल्य का उल्लेख किया जाए।
2. \*\* इसमें छोटी अवधि के लिए पट्टे पर ली गई जायदाद भी शामिल है।

18/01/17

Date- 19/01/17  
Dy. 86/P-II